In the Court of S.D.J.M Bagaha
Mahila P.S. Case No- 34/2020
Registartion No- 1311/2020
T.R No- 924/2026

प्रपत्र – ए

न्यायालयः अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा पश्चिम चम्पारण।

उपस्थितः श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण

(निर्णय की तिथि –06.06.2026)

(जी.आर. 1311/20 विचारण वाद संख्या–924/2026 निबंधन संख्या–1311/20)

(प्राथमिकी संख्या–34/2020, दिनांक–13.08.2020)

अंतर्गत धाराः–341,323,307,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना– महिला

आरोपित धाराः–341,323,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

सूचिका	राज्य द्वारा सूचिका रूकसाना खातुन पति आजाद अंसारी (साकिन–शास्त्रीनगर वार्ड न0 13, थाना–बगहा, जिला– पश्चिम चम्पारण)
प्रतिनिधित्व	श्री अनिष कुमार विद्वान अभियोजन पदाधिकारी
अभियुक्तगण	1. आजाद अंसारी पिता स्व0 मोताब मियॉ 2. मो0 हुसैन पिता स्व0 मोताब मियॉ 3. कैशुन नेशा पति मोहम्मद हुसैन 4. खुशबुन नेशा पति स्व0 मोताब मियॉ 5. आशा खातुन उर्फ आपशा खातुन पति स्व0 मोताब मियॉ 6. सरजहान खातुन पति सेराज अंसारी सभी साकिन–शास्त्रीनगर वार्ड न0 13, थाना–बगहा, जिला– पश्चिम चम्पारण)
प्रतिनिधित्व	विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार मिश्र

प्रपत्र – बी

घटना की तिथि	24.07.2020
प्राथमिकी की तिथि	13.08.2020
आरोप पत्र तिथि	07.02.2021
आरोप गठन की तिथि	12.01.2024
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	20.03.2024
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	21.05.2026
निर्णय की तिथि	06.06.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि कोई हो	अप्रयोज्य

प्रपत्र– सी

अभियोजन/ बचाव पक्ष न्यायलय साक्षियों की सुची

ए – अभियोजन

क्रमांक	**नाम**	**सक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)

अभियोजन साक्षी संख्या–01	रूकसाना खातुन	सूचिका
अभियोजन साक्षी संख्या–02	अजय सहनी	पक्षद्रोही साक्षी

बी – प्रतिरक्षा साक्षी यदि अन्य – कोई नहीं

क्रमांक	**नाम**	**सक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
अप्रायोज्य	अप्रायोज्य	अप्रायोज्य

सी – न्यायालय साक्षी यदि अन्य – कोई नहीं

क्रमांक	**नाम**	**सक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
अप्रायोज्य	अप्रायोज्य	अप्रायोज्य

अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष न्यायालय प्रदर्श की सूची

ए – अभियोजन

क्रमांक	**प्रदर्श सं0**	**विवरणी**
अप्रायोज्य	अप्रायोज्य	अप्रायोज्य

बी – प्रतिरक्षा – कोई नहीं

क्रमांक	**प्रदर्श सं0**	**विवरणी**
अप्रायोज्य	अप्रायोज्य	अप्रायोज्य

सी – न्यायालय प्रदर्श – कोई नहीं

क्रमांक	**प्रदर्श सं0**	**विवरणी**
अप्रायोज्य	अप्रायोज्य	अप्रायोज्य

डी – न्यायालय प्रदर्श – कोई नहीं

क्रमांक	**प्रदर्श सं0**	**विवरणी**
अप्रायोज्य	अप्रायोज्य	अप्रायोज्य

निर्णय

1– प्रस्तुत वाद में छः अभियुक्तगण 1. आजाद अंसारी 2. मो0 हुसैन 3. कैशुन नेशा 4. खुशबुन नेशा 5. आशा खातुन उर्फ आपशा खातुन 6. सरजहान खातुन के विरूद्ध दिनांक 12.01.2024 को धारा–341,323,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया, जिसमें अभियुक्तों ने अपने को निर्दोष बताया है तथा वाद विचारण की मांग किया।

2– अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन यह है कि सूचिका रूकसाना खातुन पति आजाद अंसारी साकिन–शास्त्रीनगर वार्ड न0 13, बगहा पश्चिम चम्पारण की निवासी हूँ।

सूचिका की शादी आज से चार वर्ष पूर्व हुई है। सूचिका को एक वर्ष की बच्ची भी है। दिनांक 24.07.2020 सुबह 6:00 बजे 1. आजाद अंसारी 2. मो0 हुसैन दोनों पे0 मोताब मियॉ 3. आशा खातुन पति स्व0 मोताब मियॉ 4. कैशुन नेशा पति मो0 हुसैन 5. खुशबुन नेशा पिता स्व0 मोताब मियॉ 6. सरजहान खातुन पति सेराज अंसारी 7. नासीर मियॉ पिता स्व0 बाढु मियॉ 8. आलमआरा खातुन 9. अफसाना खातुन 10 गुड्डु मियॉ 11. असफाक अंसारी सभी पिता नासीर अली 12. अंतिमा खातुन पिता शौकत मियॉ 13. शौकत मियॉ पिता स्व0 बाढु मियॉ सभी साकिन शास्त्रीनगर वार्ड न0 13, थाना बगहा, जिला पश्चिम चम्पारण एक राय होकर एक साथ सूचिका को जान से मारने की नियत से डीजल गिराकर वो आग लगाकर मारने की कोशिश किये। आजाद अंसारी और मो0 हुसैन दोनों भाईयों ने सूचिका को पटककर गला दबाया तथा कैशुन नेशा गैलन में रखा डीजल सूचिका के शरीर पर गिराई, अन्य बाकी लोगों ने भी उनके कुकृत्य में सहयोग दिया। जब सूचिका हल्ला की तो सूचिका के पड़ोसी अजय सहनी पिता ललन सहनी, जाकिर हुसैन पिता जुमन मियॉ तथा उनके परिवार के लोग एवं गॉव के अन्य लोग आकर सूचिका की जान बचाये। शादी के लगभग एक वर्ष बाद से ही सूचिका का पति आजाद अंसारी उसकी मॉ, भाई सभी सूचिका से दो लाख रूपया एवं बुलेट मोटर साईकिल की मांग करते हैं, बोलते है तुम्हारा बाप बहुत कम दहेज दिया है, ननद खुशबुन नेशा व देयादिन सरजहान खातुन, कैशुन नेशा भी दहेज के लिए मार खिलवाती रहती है तथा उस दिन घटना के समय भी मारपीट की। दहेज नहीं दोगी तो दूसरी शादी की धमकी देते हैं तथा इसी वजह से जान मारने की कोशिश की गई। खबर सूचिका अपने पिता रज्जाक मियॉ को दी, वे आकर सूचिका को खनवापट्टी धनहा ले गए, जहॉ से आकर सूचिका श्रीमान को आवेदन दे रही हूँ।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

3– उक्त घटना के संदर्भ में सूचिका रूकसाना खातुन, के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी महिला थाना कांड संख्या–34/2020, दिनांक 13.08.2020 को प्राथमिकी अभियुक्तगण 1. आजाद अंसारी 2. मो0 हुसैन 3. आशा खातुन 4. कैशुन नेशा 5. खुशबुन नेशा 6. सरजहान खातुन 7. नासीर मियॉ 8. आलमआरा खातुन 9. अफसाना खातुन 10 गुड्डु मियॉ 11. असफाक अंसारी 12. अंतिमा खातुन एवं 13. शौकत मियॉ के विरूद्ध धारा–341,323,307,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

4– अन्वेषणकर्ता ने अन्वेषण में घटना को सत्य पाते हुए दिनांक 07.02.2021 को आरोप पत्र संख्या 8/2021 अन्तर्गत धारा 341,323,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तगण 1. आजाद अंसारी 2. मो0 हुसैन 3. कैशुन नेशा 4. खुशबुन नेशा 5. आशा खातुन उर्फ आपशा खातुन 6. सरजहान खातुन के विरूद्ध समर्पित किया एवं सह अभियुक्त 7. नासीर मियॉ 8. आलमआरा खातुन 9. अफसाना खातुन 10 गुड्डु मियॉ 11. असफाक अंसारी 12. अंतिमा खातुन 13. शौकत मियॉ को अनुप्रेषित दिखाया। तत्पश्चात श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बगहा के द्वारा दिनांक 26.02.2021 को अंतर्गत धारा 341,323,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण 1. आजाद अंसारी 2. मो0 हुसैन 3. आशा खातुन 4. कैशुन नेशा 5. खुशबुन नेशा 6. सरजहान खातुन के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया। तत्पश्चात् पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई। दिनांक 12.01.2024 को छः अभियुक्तगण 1. आजाद अंसारी 2. मो0 हुसैन 3. आशा खातुन 4. कैशुन नेशा 5. खुशबुन नेशा 6. सरजहान खातुन के विरूद्ध धारा 341,323,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया, पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत हुई तथा अभियोजन साक्ष्य अंकित किया गया।

5— तत्पश्चात् सूचक द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर विद्वान अभियोजन अधिकारी के माध्यम से इस आशय का आवेदन दिया कि उभय पक्षों मे आपस मे न्यायालय के बाहर सुलह हो गई है, सुलहनामा संलग्न पत्रावली है। अन्य अभियोजन साक्षी का साक्ष्य अंकित नही कराना है, उक्त के आलोक मे दिनांक 16.05.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 20.05.2026 को अभियुक्तगण का धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए घ ाटना कारित करने से इन्कार किया।

6— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर सफाई साक्ष्य बंद हुआ तथा दोनों पक्षों का सविस्तार बहस सुना। बचाव पक्ष का अपने बहस मे कहना है कि उभय पक्षों में राजी—खुशी से न्यायालय के बाहर सुलह हो गई है। इस तथ्य को सूचिका/पीड़िता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वीकार भी की है तथा अपने साक्ष्य मे अभिकथित की है कि सुलह हो गया है। वाद—विवाद नहीं है। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा भी इस तथ्य को अपने बहस मे स्वीकार किया गया।

विचारणीय प्रश्न

7— न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को युक्ति—युक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है या नहीं ?

मंतव्य

8— विचारण के क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल दो साक्षियों अभियोजन साक्षी संख्या 1. रूकसाना खातुन, अभियोजन साक्षी संख्या 2. अजय सहनी को परीक्षित कराया एवं अभियोजन की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9— **अभियोजन साक्षी संख्या— 1. रूकसाना खातुन** ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कही है कि मेरी शादी वर्ष 2018 में हुई थी। वर्ष 2020 में ससुराल में मुझे दहेज के लिए प्रताड़ना किया गया। दहेज नहीं देने के कारण मुझे पति तथा ससुराल वाले लोग मायके भगा दिया। उसके बाद मैंने अपने पति आजाद अंसारी, सास आयशा खातुन, ननद कैशुन नेशा, सरजहान खातुन, खुशबुन नेशा, मो0 हुसैन इन सभी पर मुकदमा महिला थाना में दर्ज की। मैं पढ़ी—लिखी नहीं हूँ, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा थाना में आवेदन दी थी, जिसपर मैंने अपना अंगुठे का निशान बनाई। आज न्यायालय में मेरी सास आयशा खातुन आई है, जो लोग नहीं आये हैं उन्हें भी देखकर मैं पहचान लूँगी। **तत्पश्चात साक्षी संख्या—1. रूकसाना खातुन का अपने प्रतिपरीक्षा** में कहना है कि मैं इस समय अपने ससुराल में खुशी पूर्वक रह रही हूँ। मैं आज माननीय न्यायालय में ससुराल से आई हूँ। अब यह मुकदमा सुलह हो गया है, सुलह होने के कारण अब मैं यह केस नहीं लड़ना चाहती हूँ और न ही गवाही करवाना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी दहेज की मांग नहीं किये थे। कोई भी मुझसे दुर्व्यवहार नहीं करता है। सुलहनामा पर मेरा निशान है, सभी लोग से मैं सुलह कर ली है। **अभियोजन साक्षी संख्या—2. अजय सहनी** ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कहा है कि घटना की जानकारी मुझे नहीं है। रूकसाना खातुन की शादी किससे हुआ था, मुझे मालुम नहीं है। विद्वान अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विद्वान अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण इन्होंने पुलिस के समक्ष बयान दिया और बताया है कि दिनांक 24.07.2020 को अभियुक्तगण मिलकर रूकसाना खातुन को दहेज के लिए मारपीट कर रहे थे। **तत्पश्चात साक्षी संख्या— 2. अजय सहनी का अपने प्रतिपरीक्षा** में कहना है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस में बयान नहीं हुआ था। हमारे घर से थाना की दूरी दो मिलोमीटर है।

10— यहां यह उल्लेखनीय है, इस वाद में आरोप का गठन दिनांक 12.01.2024 को धारा 341,323,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत

किया गया है, अतः आरोप अन्तर्गत धारा–341,323,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किया जाना है। अभियोजन द्वारा दो साक्षियों को परीक्षण विचारण के दौरान कराया गया है।

11– विचारण के क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल दो साक्षियों अभियोजन साक्षी संख्या 1. रूकसाना खातुन, अभियोजन साक्षी संख्या 2. अजय सहनी को परीक्षित कराया एवं अभियोजन की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अपराध विधि का यह सामान्य सिद्धांत है कि अभियुक्त व्यक्ति को निर्दोष तब तक माना, जायेगा, जब तक कि उसके विरूद्ध अभियोग को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित न कर दिया जाये।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 प्रावधानित करती है किः–

" जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यो का अस्तित्व है।

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब वह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

आर्थात् अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग साबित करने के भार के अधीन है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1. रूकसाना खातुन** ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कही है कि मेरी शादी वर्ष 2018 में हुई थी। वर्ष 2020 में ससुराल में मुझे दहेज के लिए प्रताड़ना किया गया। दहेज नहीं देने के कारण मुझे पति तथा ससुराल वाले लोग मायके भगा दिया। उसके बाद मैंने अपने पति आजाद अंसारी, सास आयशा खातुन, ननद कैशुन नेशा, सरजहान खातुन, खुशबुन नेशा, मो0 हुसैन इन सभी पर मुकदमा महिला थाना में दर्ज की। मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूॅ, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा थाना में आवेदन दी थी, जिसपर मैंने अपना अंगुठे का निशान बनाई। आज न्यायालय में मेरी सास आयशा खातुन आई है, जो लोग नहीं आये हैं उन्हें भी देखकर मैं पहचान लूॅगी। **तत्पश्चात साक्षी संख्या–1. रूकसाना खातुन का अपने प्रतिपरीक्षा** में कहना है कि मैं इस समय अपने ससुराल में खुशी पूर्वक रह रही हूॅ। मैं आज माननीय न्यायालय में ससुराल से आई हूॅ। अब यह मुकदमा सुलह हो गया है, सुलह होने के कारण अब मैं यह केस नहीं लड़ना चाहती हूॅ और न ही गवाही करवाना चाहती हूॅ। मुझसे कोई भी दहेज की मांग नहीं किये थे। कोई भी मुझसे दुर्व्यवहार नहीं करता है। सुलहनामा पर मेरा निशान है, सभी लोग से मैं सुलह कर ली है। **अभियोजन साक्षी संख्या–2. अजय सहनी** ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कहा है कि घटना की जानकारी मुझे नहीं है। रूकसाना खातुन की शादी किससे हुआ था मुझे मालुम नहीं है। विद्वान अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विद्वान अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण इन्होंने पुलिस के समक्ष बयान दिया और बताया है कि दिनांक 24.07.2020 को अभियुक्तगण मिलकर रूकसाना खातुन को दहेज के लिए मारपीट कर रहे थे। **तत्पश्चात साक्षी संख्या– 2. अजय सहनी का अपने प्रतिपरीक्षा** में कहना है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस में बयान नहीं हुआ था। हमारे घर से थाना की दूरी दो मिलोमीटर है।

अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षी संख्या 1. रूकसाना खातुन, अभियोजन साक्षी संख्या 2. अजय सहनी के अलावा किसी अन्य साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया। अभियोजन द्वारा इस मामले के अनुसंधानकर्ता को भी न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी के रूप मे परीक्षित नहीं कराया, जिससे घटना का स्वतंत्र सम्पोषण साक्ष्य के माध्यम से नहीं किया जा सका। पीड़िता/सूचिका स्वतः न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने साक्ष्य में कही है कि मैं इस समय अपने ससुराल में खुशी पूर्वक रह रही हूॅ। मैं आज माननीय न्यायालय में ससुराल से आई हूॅ। अब यह मुकदमा सुलह हो गया है, सुलह होने के कारण अब मैं यह केस नहीं लड़ना चाहती हूॅ और न

ही गवाही करवाना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी दहेज की मांग नहीं किये थे। कोई भी मुझसे दुर्व्यवहार नहीं करता है। सुलहनामा पर मेरा निशान है, सभी लोगों से मैं सुलह कर ली हूँ, का समर्थन की है। उभय पक्षों के संयुक्त आवेदन के आधार पर मामले को मध्यस्थम हेतु भेजा गया। मध्यस्थम पंचाट संलग्न पत्रावली है। जिसका कार्यकारी भाग यह है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, दोनों आपस में किये गए मुकदमें में दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इस प्रकार अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण 1. आजाद अंसारी 2. मो0 हुसैन 3. कैशुन नेशा 4. खुशबुन नेशा 5. आशा खातुन उर्फ आपशा खातुन 6. सरजहान खातुन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341,323,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्य एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के अभिकथनों एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अभिकथनों से स्पष्ट होता है कि अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण 1. आजाद अंसारी 2. मो0 हुसैन 3. कैशुन नेशा 4. खुशबुन नेशा 5. आशा खातुन उर्फ आपशा खातुन 6. सरजहान खातुन के विरूद्ध युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पुर्णतः असफल रहा है, अतः आरोप पत्र मे नामित अभियुक्तगण 1. आजाद अंसारी 2. मो0 हुसैन 3. कैशुन नेशा 4. खुशबुन नेशा 5. आशा खातुन उर्फ आपशा खातुन 6. सरजहान खातुन को धारा 341,323,498(ए)/34 भा.द.वि. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से ही प्रतियुक्त बंध पत्र पर मुक्त है, अतः प्रतिभूओं को उनके बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करने हेतु विधिनुसार कार्यवाही करें।

लेखापित

आलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा,पश्चिम चम्पारण।
दिनांक–06.06.2026

स्थान बगहा (प0 चम्पारण)
तिथि–06.06.2026

यह निर्णय मेरे द्वारा टंकित व शुद्धीकृत किया गया,
एवं आज खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।
कुल **06** पृष्ठों में अभिलेख पर पृथक से संलग्न किया जाता है।

लेखापित

आलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
तिथि–06.06.2026

स्थान बगहा (प0 चम्पारण)
दिनांक–06.06.2026